



INDIA NON JUDICIAL
Government of Uttar Pradesh



IN-UP20363870164496V

e-Stamp

Certificate No.	: IN-UP20363870164496V
Certificate Issued Date	: 21-Sep-2023 02:17 PM
Account Reference	: NEWIMPACC (SV) up14812104/ LUCKNOW SADAR/ UP-LKN
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUP1481210436351243200425V
Purchased by	: JBS INSTITUTE OF PHARMACY JALPAPUR BARABANKI
Description of Document	: Article 4 Affidavit
Property Description	: Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:
First Party	: JBS INSTITUTE OF PHARMACY JALPAPUR BARABANKI
Second Party	: Not Applicable
Stamp Duty Paid By	: JBS INSTITUTE OF PHARMACY JALPAPUR BARABANKI
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 100 (One Hundred only)



Please write or type below this line

Sworn - And Verified
Before Me

Satya Prakash Srivastava
SATYA PRAKASH SRIVASTAVA
 Advocate & Notary
 Lucknow, U.P. India
 (Notary Public)

1. The authenticity of the e-Stamp certificate should be verified at www.india.gov.in or using a Smart/ Mobile App of State/ Union Territory/ India.
 2. The issue of checking the legitimacy of the e-Stamp certificate should be done using a Smart/ Mobile App issued in India.
 3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.


(प्रास्तव - 'अ')

सत्र 2023 -24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थाओं की ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ पत्र

हम पूनम सिंह एवं आकाश सिंह कमरा अध्यक्ष एवं सचिव जे0बी0एस0 मेमोरियल ट्रस्ट 20/177 इन्दिरा नगर, लखनऊ शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं-

1. यह कि हमारी ट्रस्ट द्वारा जे0बी0एस0 इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मसी जलपापुर, मीननगर, बाराबंकी नामक डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी ट्रस्ट के नाम जलपापुर, में गाटा संख्या 89 एवं 90 रकबा कमरा: 1.166 एवं 1.214 हेक्टेयर 4.1690 एवं 0.0480 (कुल 4.217 हेक्टेयर) भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि, उपरोक्त पते पर ट्रस्ट के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 89 एवं 90 रकबा कमरा: 1.166 एवं 1.214 हेक्टेयर 4.1690 एवं 0.0480 (कुल 4.217 हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव ट्रस्ट की बैठक दिनांक 08/12/2019 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्ररनगत डिप्लोमा फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शों के अनुसार किया गया है।
6. यह कि निर्माण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि, इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

Swor . And Verified
Before Me


SATYA PRAKASH SRIVASTAVA
Advocate & Notary
Lucknow U.P. India

9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/ विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/ सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/ विद्यालय/ महाविद्यालय/आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/ आदेशों का बलीभाति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सच है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मैं बिना परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मुझे उत्तरदायी होऊँगा।



ह० सचिव

ह० अध्यक्ष

Sworn And Verified
Before Me

SATYA PRAKASH SRIVASTAVA
Advocate & Notary
Lucknow U.P. India